न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **62/17 (वाद)**

GCMS No. : 2017/00055

उनवान

1. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री किशना जी पत्नी खेमराज जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सेमा, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती कंकु पुत्री किशना जी पत्नी दल्ला जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी गुमानपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम

1. अणचाईबाई पुत्री किशना जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भीमल ब। गडवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रेमशंकर माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. अशोक माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. ओमप्रकाश माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती पुष्पा माता लक्ष्मीबाई पत्नी प्रकाश जी प्रजापत, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी कुम्हारवाड़ा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. उप पंजीयन अधिकारी, मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार हल्का नुरड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री पवन सैन, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.02.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पिपरोली, पटवार हल्का नुरड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई पिता किशना, मु. देउबाई के पिता किशना जाति कुम्हार के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। खातेदार मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं देउबाई का भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

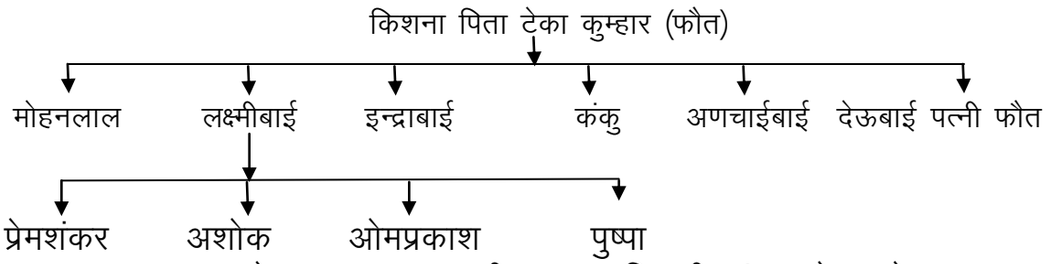

निधन हो चुका है जिनके वारिस हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 है। खातेदार लक्ष्मीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 5 है। यह कि हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

उक्त सजरे अनुसार हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 5 के मूल पुरूष किशना जी थे जिनके एक पुत्र मोहनलाल हुआ एवं चार पुत्रीया लक्ष्मीबाई, इन्द्राबाई (वादी सं. 1), कंकु (वादी सं.2), अणचाईबाई एवं पत्नी देऊबाई हुई है। मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है तथा देऊबाई का निधन हो चुका है जिनके वारिसान हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 5 है तथा लक्ष्मीबाई का भी निधन हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 5 है।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजी पूर्व में हम वादीगण के पिता श्री किशना पिता टेका कुम्हार के नाम पर दर्ज थी तथा किशना जी के मरने के बाद विरासत से जरिए इन्तकाल संख्या 614 दिनांक 05.10.2007 से उनके पुत्र मोहनलाल, पुत्री लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई एवं हमारी माता देऊबाई बेवा किशना कुम्हार के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जो हम यादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 5 की पैतृक सम्पति है जिसमें हम वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और हम वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हैं। मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई एवं माता देऊबाई ने राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर हम वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय किशना जी के नाम की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर ही अंकन करवा दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही था। क्योंकि हम वादीगण भी स्वर्गीय किशनाजी की जायन्दा पुत्री होकर उनकी विधिक वारिस है जिससे हम वादीगण का भी स्व. किशनाजी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में नाम दर्ज होना चाहिए था। इसलिये हम वादीगण उक्त वर्णित आराजी में हिस्सानुसार अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है। क्योंकि उक्त वर्णित आराजी हम वादीगण की पैतृक सम्पति है जिस पर हम वादीगण अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करती आ रही है। लेकिन वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से 5 की माता लक्ष्मीबाई एवं मोहनलाल, देऊबाई द्वारा जानबुझकर हमें हमारे हक हिस्से से वंचित करने की नियत से विरासत से खुलने वाले नामान्तरकरण में हमारा नाम दर्ज नही कराया और अपने नाम ही अंकन करवा दिये तथा वर्तमान में हम वादीगण का हिस्सा हमारे नाम पर दर्ज नही होने से प्रतिवादी सं. 1 से 5 हम वादीगण को हमारे कब्जे हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकीयां दे रहे है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 5 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी हैं कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, हम वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, हम वादीगण को बेदखल नही करे, वादीगण की भूमि पर कब्जा नही करे, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें तथा प्रतिवादी सं. 2 से 5 अपने नाम पर नामान्तरकरण नही खुलावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं होगी। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादीयां को जो अशोधनीय क्षति होगी उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में है।

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 01.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वर्णित आराजी में जो हम वादीगण की पैत्रक कृषि भूमि है उसमें हम वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Punadia
Date: 2026.04.06 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 से 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारे का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित किये जाने एवं अंकित मृतक खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई पिता किशना एवं देउबाई बेवा किशना का नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रतिवादी सं. 1 से 5 हम वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, हम वादीगण को बेदखल नहीं करे, वादीगण की भूमि पर कब्जा नही करे, प्रतिवादी सं. 2 से 5 अपने नाम पर नामान्तरकरण नही खुलावे, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी सं. 6, 7, 8 को पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही किये जाने से जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। गवाह पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी संख्या 2 कंकु पुत्री किशना पत्नी दला जाति कुम्हार निवासी गुमानपुरा तहसील वल्लभगनर का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 करवाए गए। जिरह राजपैरोकार द्वारा की गई।

7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने निवेदन किया।

8. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

की ग्राम पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई पिता किशना, मु. देउबाई बेवा किशना कुम्हार हि.ब. गड़वाड़ा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम पिपरोली के नामान्तरकरण संख्या 614 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से जाहीर आया की उक्त वादग्रस्त भूमि किशना पिता टेका कुम्हार के नाम दर्ज थी, जो विरासत से मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई पिता किशना, मु. देउबाई बेवा किशना कुम्हार हि.ब. गड़वाड़ा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। उक्त नामान्तरकरण पर किशना पिता टेका का सजरा भी बनाया गया है जिसमें किशना पिता टेका के वारिस मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाई बाई, बेवा देउ बाई को बताया गया है। नामान्तरकरण पर अंकित सजरे एवं वादीगण द्वारा बताए सजरे में विरोधाभास होने से तहसीलदार घासा से वारिसान की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार घासा द्वारा पत्राचार करते हुए निवेदन किया की किशना पिता टेका कुम्हार गड़वाड़ा तहसील मावली का निवासी होने से वारिसान की रिपोर्ट तहसीलदार मावली लिया जाना उचित है। तहसीलदार मावली को वारिसान की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा संलग्न किया गया। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा बताए गया सजरा एवं वादीगण द्वारा बताया गया सजरा एकसमान है। पटवारी हल्का बांसलिया द्वारा जांच कर बनाए गए सजरे अनुसार वादीगण किशना उर्फ काना पिता टेका कुम्हार की पुत्रियां है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 5 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नही किया गया है। ऐसे में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 614 पर किशना पिता टेका का गलत सजरा बनाकर विरासत का नामान्तकरण पारित करने से वादीगण को अपने पिता की भूमि से वंचित कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियो को विरासत का नामान्तरकरण भरते समय एवं ग्राम पंचायत को पारित करते समय खातेदार किशना पिता टेका के वारिसान की जांच कर [illegible] था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो एवं ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] सभी वारिसान के नाम अंकित नही किये। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि किशना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri
Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

पिता टेका की भूमि है। वादीगण किशना पिता टेका की पुत्रियां है। ऐसे में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति में उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज होगा। इस प्रकरण में वादीगण भी मृतक खातेदार की पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी की वारिसान है। ऐसे में वादीगण के पिता के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि में उनका भी हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार खातेदार/वादीगण के पिता के निधन से ही वादीगण वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि के कारण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज नही हुआ। ऐसे में वादग्रस्त भूमि में वादीगण को भी हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाना उचित है।

वादीगण द्वारा अपने भाई मोहनलाल को लाऔलाद फौत बताकर एवं अपनी माता देऊबाई को फौत बताकर उनके हिस्से में भी घोषणा चाही गई। परन्तु वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किए। साथ ही पटवारी हल्का द्वारा बताए गए सजरे में मोहनलाल की एक पत्नी सुन्दर बाई बताते हुए नाते जाना बताया है। मोहनलाल एवं देऊबाई के हिस्से पर रहन भी दर्ज है। ऐसे में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी खातेदार के निधन हो जाने पर उसके नाम दर्ज भूमि को विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दर्ज किया जाता है। मोहनलाल एवं देऊबाई का निधन हो गया है तो वादीगण उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि मोहनलाल एवं देउबाई के नाम दर्ज भूमि को हटाने से पूर्व उसके वारिसान को उनके नाम दर्ज रहन को हटवाना होगा। ऐसे में मोहनलाल एवं देउबाई के हिस्से में इस वाद के माध्यम से घोषणा दी जाकर उनके नाम वादग्रस्त भूमि में हटाना उचित नही है। ऐसे में न्यायालय का मानना है कि वादीगण को किशना पिता टेका की भूमि में जितना हिस्सा बनता है उसका खातेदार घोषित किया जाना उचित है एवं मोहनलाल एवं देउबाई के हिस्से की भूमि में नियमानुसार वादीगण विरासत का नामान्तकरण पारित करवाने के लिए स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत डिक्रीत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070—73 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई पिता किशना, मु. देउबाई बेवा किशना कुम्हार हि.ब. गड़वाड़ा खातेदार दर्ज है, के बजाय वादीगण प्रत्येक को 1/6—1/6 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में शेष रही भूमि में मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा, लक्ष्मीबाई के नाम 1/6 हिस्सा, अणचाईबाई के नाम 1/6 हिस्सा, देउबाई के नाम 1/6 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उपर्युक्तानुसार वादी संख्या 1 इन्द्राबाई के नाम 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 कंकु के नाम 1/6 हिस्सा, मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा, लक्ष्मीबाई के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अणचाईबाई के नाम 1/6 हिस्सा, देउबाई के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे। पूर्व में जिन खातेदारो पर रहन दर्ज है वह यथावत रहेगा।

साथ ही वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि मोहनलाल एवं देउबाई के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में नाम दर्ज करवाने के लिए नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु सक्षम अधिकारी के सक्षम आवेदन प्रस्तुत कर दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री किशना जी पत्नी खेमराज जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सेमा, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती कंकु पुत्री किशना जी पत्नी दल्ला जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी गुमानपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम

1. अणचाईबाई पुत्री किशना जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भीमल ४। गडवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रेमशंकर माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. अशोक माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. ओमप्रकाश माता लक्ष्मीबाई (पिता वरदीचन्द) जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती पुष्पा माता लक्ष्मीबाई पत्नी प्रकाश जी प्रजापत, जाति कुम्हार, आयु
6. वयस्क, निवासी कुम्हारवाड़ा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. उप पंजीयन अधिकारी, मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का नुरड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 62/17 (वाद) GCMS No. – 2017/00055</u>

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि मोहनलाल व लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई पिता किशना, मु. देउबाई बेवा किशना कुम्हार [illegible] दर्ज है, के बजाय वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में शेष रही भूमि में मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा, लक्ष्मीबाई के नाम 1/6 हिस्सा, अणचाईबाई के नाम 1/6 हिस्सा, देउबाई के नाम 1/6 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उपर्युक्तानुसार वादी संख्या 1 इन्द्राबाई के नाम 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 कंकु के नाम 1/6 हिस्सा, मोहनलाल के नाम 1/6 हिस्सा, लक्ष्मीबाई के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अणचाईबाई के नाम 1/6 हिस्सा, देउबाई के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे। पूर्व में जिन खातेदारो पर रहन दर्ज है वह यथावत रहेगा।

साथ ही वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि मोहनलाल एवं देउबाई के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में नाम दर्ज करवाने के लिए नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु सक्षम अधिकारी के सक्षम आवेदन प्रस्तुत कर दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र है।

यह आज तारीख 13.02.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested